प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 26.03.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 150/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता गणेश विश्वकर्मा पुत्र तामेश्वरी निवासी बगुलहवा ग्रान्ट थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर को ग्राम बगुलहवा ग्रान्ट जनपद सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 10.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की नाबालिग पुत्री के दिनाँक 09.03.2026 को स्कूल जाने के बाद वापस न आने तथा काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिलने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनाँक 25.03.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, म0हे0का0 प्रिती राय, का0 रघुवंश प्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 250 वाहनों से 2,85,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 26.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 250 वाहनों से 2,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना दुधारा पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 91/2026 धारा 69,89,351(3) बी0एन0एस0 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता विजय प्रकाश यादव पुत्र हरिराम यादव निवासी भंगुरी सिया कटाई थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 26.03.2026 को सीएचसी दुधारा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, गर्भपात कराने व धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दुधारा पर दिनाँक 12.03.2026 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विजय शंकर द्विवेदी, हे0का0 राघवेन्द्र सिंह।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ गलत कार्य करने के मामले में वाँछित 02 बाल अपचारियों को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 26.03.2026 को थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2026 धारा 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित 02 बाल अपचारियों को पुरवा के पास से निरुद्ध कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 25.03.2026 को थाना दुधारा पर 02 बाल अपचारियो के विरुद्ध वादिनी के नाबालिग नाती के साथ गलत कार्य करनेके मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद 02 बाल अपचारियों को आज दिनांक 26.03.2026 को निरुद्ध कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
निरुद्ध करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सचिन्द्रनाथ राय, हे0का0 अरुण प्रजापति।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवक को पेड़ से बाँधकर मारपीट करने व वीडियो वायरल करने के मामलें में वाँछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 26.03.2026 को पड़ोखर गाँव में एक युवक को पेड़ से बाँधकर मारपीट करने व वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में 03 अभियुक्तों 01. बृजेश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद 02. विजय प्रकाश पुत्र विनोद कुमार 03. ओंमकार पुत्र विनोद कुमार निवासीगण पड़ोखर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा **170/126/135 बीएनएसएस** की कार्यवाही की गयी।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार, का0 प्रशान्त विक्रम सिंह, का0 भूपेन्द्र सिंह।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट व साइकिल तोड़ने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का दण्ड व कुल 4500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***“ऑपरेशन कनविक्शन”*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 26.03.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का दण्ड व कुल 4500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री लक्ष्मीशंकर पुत्र रामलगन निवासी मलोरना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त रामसागर पुत्र रामप्रताप निवासी जोखा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी से मारपीट करने व साइकिल तोड़ देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर उ0नि श्री जगदीश मौर्य द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 123/2006 धारा 323/504/506/427 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323/504/506/427 भा0द0वि0 में न्यायालय उठने तक का दण्ड व कुल 4500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 25 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 06 स्थान पर लगवाये गये 20 सीसीटीवी कैमरे

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत आज दिनाँक 26.03.2026 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 06 स्थान पर 20 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 07 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरा, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 01 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।